न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-540RAAJodhpur2022-325RTA225 Ganpatram Vs Motiram etc

गणपतराम पुत्र श्री देवाराम जाति माली, निवासी- रामदेवरा रजासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मोतीराम पुत्र जोराराम उर्फ जोरजी,
2. ओमीदेवी पत्नी राजूराम
3. अचलाराम पुत्र सुखराम
4. गोमीदेवी पत्नी अचलाराम
5. चुन्नीलाल पुत्र गुलाबराम
6. रतनाराम पुत्र गुलाबराम
7. छोटू पुत्र देवाराम
8. जगदीश पुत्र देवाराम
9. मदन पुत्र देवाराम
10. सोहन पुत्र देवाराम
11. हीराराम पुत्र देवाराम
12. बेवी देवी पत्नी भागीरथराम
13. मुन्नीदेवी पत्नी घेवरराम
14. सोनी देवी पत्नी पप्पूराम
15. अमराराम पुत्र गोपाराम
16. खीयाराम पुत्र गोपाराम
17. बाबूलाल पुत्र गोपाराम
18. बिड़दाराम पुत्र सुखाराम
19. राजूराम पुत्र सुखाराम
20. कमला पत्नी बिड़दाराम
    सभी जातियान् माली, निवासीगण- रामदेवरा रजासनी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

हस्ता. 30.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2021 मोतीराम बनाम ओमीदेवी इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 5 से 20
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 21

रेस्पो. संख्या एक से चार बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 30 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2021 मोतीराम बनाम ओमीदेवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 15 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम रामदेवरा रजासनी तहसील तिवंरी के खसरा नं. 178 रकबा 22.3791 हैक्टेयर, खसरा नं. 174 रकबा 2.9380 हैक्टेयर, खसरा नं. 177 रकबा 3.3103 हैक्टेयर, खसरा नं. 180 रकबा 3.3346 हैक्टेयर के संबंध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का

30.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश दिनांक 30 नवंबर 2021 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जारी किये जाने के पश्चात संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो आदेश आदेश 39 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया है। तत्पश्चात भी आज दिन तक प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 सीपीसी के नियमों की पालना किये बिना ही पत्रावली में आगामी पेशी दी जा रही है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार, काश्तकार है तथा खातेदार, काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है तथा न ही रेकर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अदालत हाजा के समक्ष मजबूरन अपील प्रस्तुत करनी पड़ी। अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर

30.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

देरी नहीं की गई है, न ही किसी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की जा रही हैं।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 नवंबर 2021 अपास्त फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विलंब पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2022 के जरिये स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट को उसके हक-हिस्से की भूमि में मकान निर्माण की छूट प्रदान की जाकर वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है।

30.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण न्यायालय में विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आदेश मे इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा न्याय हित में उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कि. 30.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर